राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक– प.3(55) नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 29 APR 2020

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु 5.2 में आरक्षित/डी.एल.सी. दर पर भूमि आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। विभाग के समसंख्या आदेश दिनांक 28.06.2016 व 25.11.2016 से आवंटन नीति–2015 के बिन्दु 9 के अन्तर्गत निम्नानुसार निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु निकायों कोशक्तियां प्रत्यायोजित की गयी।

1	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रेक्चर हेतु भूमि आवंटन	1000 वर्गमीटर तक
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4000 वर्गमीटर तक
3	उप स्वास्थ्य भवन	500 वर्गमीटर तक
4	पुलिस थाना	2000 वर्गमीटर तक
5	पुलिस चौकी	500 वर्गमीटर तक

विभागीय आदेश क्रमांक प.1(66) नविवि/जोधपुर/2015 दिनांक 13.03.2018 से शमशान/कब्रिस्तान के लिये 2000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन के लिये प्राधिकरण/न्यास को अधिकृत किया गया।

सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार समस्त स्थानीय निकाय (प्राधिकरण, न्यास, आवासन मण्डल, नगर निगम, नगर परिषद् व नगर पालिका) द्वारा स्वयं के स्तर पर भूमि आवंटन के निर्णय के पश्चात् राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक रूप से प्राप्त करने के पश्चात् ही आवंटन पत्र व कब्जा देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner